गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन

खोज गाँधीजी की

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन, जलगाँव की त्रैमासिक पत्रिका वर्ष-४ □ अंक-१ □ जनवरी- मार्च, २०१५

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन, जलगाँव द्वारा प्रकाशित –

खोज गाँधीजी की

सत्य व अहिंसापरक विचारों को समर्पित
वर्ष–4 ◻ अंक–1 ◻ जनवरी–मार्च, 2015

तप के बिना त्याग अधूरा ही रहता है। – महात्मा गाँधी

इस अंक में– ....पृष्ठ

सम्पादकीय.. १
गाँधीजी के प्रेरक पुरुष – जॉन रस्किन....................................... २
धर्मान्तरण और महात्मा गाँधी.. ४
जाति से बाहर... ७
आज की समाज रचना – *(डॉ. भवरलाल जैन)* ८
फाउण्डेशन की गतिविधियाँ...९–१२

मार्गदर्शक
न्या. चन्द्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. भवरलाल जैन

प्रबन्ध सम्पादक
अशोक जैन

सम्पादक
डॉ. श्रीप्रकाश पाण्डेय

कला एवं अक्षर–सज्जा
भूषण मोहरीर

सम्पादकीय कार्यालय
गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन,
गाँधी तीर्थ, जैन हिल्स, पोस्ट बॉक्स संख्या 118, जलगाँव – 425 001.
दूरभाष : 0257-2260011/22, 2264801, मो.: 9404955272
फैक्स : 0257-2261133
वेबसाइट : www.gandhifoundation.net
ई–मेल : info@gandhifoundation.net
CIN No. : U73200MH2007NPL169807

यह पत्रिका गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन, गाँधी तीर्थ, जैन हिल्स, जलगाँव–425 001 (भारत) के लिए प्रबन्ध सम्पादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रिंटवेल, जी–१२, एम.आय.डी.सी., चिकलठाणा, औरंगाबाद – ४३१००६ (महाराष्ट्र) द्वारा मुद्रित।
वर्ष–४, अंक–१, जनवरी–मार्च, २०१५

सभी चित्र गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन संग्रह से।

सम्पादकीय...

स्थाई विकास और महात्मा गाँधी

स्थाई विकास आज दुनियां भर में बुद्धिजीवियों, सरकारों, पर्यावरणविदों, पर्यावरण वैज्ञानिकों तथा कारोबार समूहों के मध्य बहुचर्चित विषय बन गया है। मानव समुदाय के साथ-साथ पर्यावरण के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। विकास में अस्थिरता तब आती है जब प्राकृतिक संसाधनों तथा वातावरण का लम्बी अवधि तक क्षय होता रहा हो। ऐसी स्थिति में मानव जीवन अस्थिर हो जायेगा और वैश्विक स्तर पर सम्पूर्ण जैवतन्त्र के नष्ट होने की सम्भावना बलवती होगी। स्थाई विकास को प्राप्त करने के लिये निर्णय निर्माण में व्यापक जन भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व को मूल भूत आधार माना गया है।

स्थाई विकास की अवधारणा

स्थाई विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने का एक आदर्श मॉडेल प्रस्तुत करता है जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ वर्तमान मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुये आनेवाली भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करना सुनिश्चित किया जाता है तथा भविष्य की जरूरतों, स्थिर आर्थिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकीय सुरक्षा को भी महत्त्व दिया जाता है। सम्पोष्य विकास, सतत विकास तथा जिसे संधारणीय विकास भी कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुसार विकास की दिशा तय की जाती है। यह विकास की वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन अनन्तकाल मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। स्थाई या सतत विकास की सबसे अच्छी अवधारणा बेंटलैंड ने 'अवर कॉमन फ्यूचर' में दी है जिसके अनुसार यह एक ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना शर्त समझौता किये बिना वर्तमान की आवश्यकतायें पूरी करता है। सतत विकास न केवल पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करता है बल्कि यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकि विकास की स्थिति तथा संस्थात्मक परिवर्तनों को वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं के भी अनुकूल बनाया जा सके। यह आर्थिक विकास के प्रति विश्व को सचेत करता है ताकि विकास तो हो परन्तु प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाये हो।

महात्मा गाँधी और स्थाई विकास

महात्मा गाँधी के समय में ग्रीन टेक्नालॉजी, इकोलॉजी, सस्टेनेबल डिवेलपमेन्ट जैसे शब्दों का प्रचलन नहीं था किन्तु विकास के नाम पर प्रकृति के संसाधनों का दोहन तो तब भी था, हां यह अवश्य था कि वह इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्दों का प्रयोग भले न किया हो किन्तु जो कहा और जो किया वह उन्हें एक पर्यावरणविद् की श्रेणी में ला खड़ा करता है। अपनी दूरदृष्टि और अन्त:दृष्टि से उन्होंने विश्व को सचेत कर दिया था कि सब कुछ सही दिशा में ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। १९०९ में लिखी अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' में उन्होंने मानव को अनियन्त्रित औद्योगीकरण और भौतिकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रति सचेत किया है। वह नहीं चाहते थे कि भारत विकास के पश्चिमी माडल की नकल करे। उन्होंने सचेत किया था कि यदि भारत अपनी विशाल जनसंख्या के साथ पश्चिम की नकल करता है तो भारत के प्राकृतिक संसाधन स्वयं के लिये अपर्याप्त हो जायेंगे। उनका मानना था कि औद्योगीकरण और मशीनें मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। यद्यपि गाँधी मशीनों के खिलाफ नहीं थे किन्तु मशीनों के बड़े पैमाने पर प्रयोग के हिमायती नहीं थे। वे कहते थे कि हमें ऐसी मशीनें नहीं चाहिये जो मजदूरों को बेरोजगार बनाकर उनका हक छीनती हों। उनका मानना था कि पृथ्वी पर प्रत्येक मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिये सब कुछ पर्याप्त है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति की लालच की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। महात्मा गाँधी ने आज से ६८ वर्ष पूर्व मानव की असीमित इच्छाओं और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को लक्ष्य कर कहा था कि There is enough for everyone's need but not for everyone's greed। उन्होंने सामाजिक समता के लिये ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त दिया जिसके अनुसार धनिक वर्ग न केवल अपनी आवश्यकतायें कम करे अपितु अपने धन को एक ट्रस्ट के रूप में घोषित करे और स्वयं उसका ट्रस्टी बन जाय तथा गरीबों के कल्याण के लिये कार्य करे। यह तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी वास्तविक आवश्यकता और कृत्रिम आवश्यकता के भेद को समझे और कृत्रिम आवश्यकता पर नियंत्रण करे। One must be the change that one wants to see in the world। इसलिये उन्होंने जो कुछ किया, उसी की शिक्षा दी। उनका जीवन ही उनका संदेश था। वह और उनकी पत्नी ने आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त सबकुछ अपना दान कर दिया। वे प्रयुक्त कागज के टुकड़ों पर सन्देश लिखते थे, यूज्ड लिफाफे पर पता काटकर पुन: उसका उपयोग पत्र भेजने के लिये करते थे। यह घोषित करता है कि उनकी पर्यावरणीय सोच क्या थी। उनकी चिंता केवल जैविक प्राणियों के प्रति नहीं थी अपितु जैविक और अजैविक सभी के प्रति उनके मन में आदर था और मानते थे कि सभी प्राणियों को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को। जीव-अजीव के बीच एक अदृश्य बन्धन है अत: उसके आस-पास जो भी है उससे उसका मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होना चाहिये।

गाँधीजी ने पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु अहिंसावादी नीतिशास्त्र का संदेश दिया। गाँधी के अनुसार वास्तव में मानवीय मूल्य सभी जीवित प्राणी में अन्तर्निहित है जिसका आधार पर्यावरण है। यह आधार कुछ और नहीं अपितु आध्यात्मिक है। इसलिए प्रकृति को हमें आत्मा के रूप में देखना होगा। जिस प्रकार हम साँस लेने में किसी नैतिक दबाव का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार यदि हम अपनी आत्मा का विस्तार कर लें तो हम बिना किसी दबाव के स्वयं ही प्रकृति की सुरक्षा कर सकेंगे। गाँधी विकास की पश्चिमी अवधारणा और प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, विकास के अर्थ, समाज को अनुशासित करने के तरीकों तथा जन नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन को चुनौती देते हैं।

गाँधी के अनुसार स्थाई विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होना चाहिये जो भावी विकास के लिये आधार होगा। विकास का जो गांधियन माडल है उसमें न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया है अपितु पारिस्थितिक समाज की संरचना भी है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना कर चलता है। उनका मानना है कि मानव का विकास प्रकृति के विनाश की कीमत पर कतई नहीं होना चाहिये। विकास का गांधियन माडल विकास के उस प्रकार को बढ़ावा देता हैं जिसमें ग्रहों की पर्यावरणीय क्षमता तथा सामाजिक न्याय दोनों अनुस्यूत हो। उसके केन्द्र में व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि समग्र मानव का विकास है।

(डॉ. श्रीप्रकाश पाण्डेय)

गाँधीजी के प्रेरक पुरुष

जॉन रस्किन (१८१९-१९००) उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन के सबसे चर्चित कला और स्थापत्यकार तथा कला समालोचक थे। गाँधीजी ने उन्हें तब जाना जब रस्किन स्वयं यूरोप के एक प्रसिद्ध मध्ययुगीन कला-आलोचक के रूप में तथा परिवर्तित हो रहे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा नैतिक मूल्यों पर अपनी कृतियों के माध्यम से विश्व स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुके थे। रस्किन के 'अन टू दिस लास्ट' पुस्तक का गाँधीजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक के विषय में महात्मा गाँधी ने लिखा है कि जिस पुस्तक ने मेरे जीवन में तत्काल महत्त्व का रचनात्मक परिवर्तन कराया, वह तो रस्किन की 'अन टू दिस लास्ट' ही थी। गाँधीजी यह दावा करते हैं कि इस पुस्तक से उनके जीवन में तात्कालिक और व्यावहारिक परिवर्तन हुए। अपनी आत्मकथा में गाँधी ने एक पुस्तक का चमत्कारी प्रभाव नाम से एक पूरा अध्याय जान रस्किन के नाम से दिया है। प्रस्तुत है पाठकों के समक्ष जान रस्किन के गाँधीजी पर पड़े प्रभाव को दर्शाता यह लेख – ***सम्पादक***

जॉन रस्किन

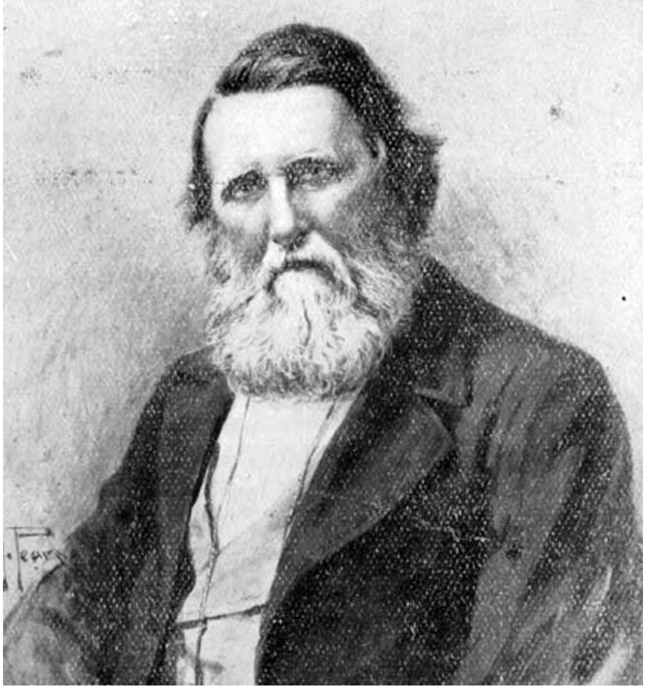

जॉन रस्किन

जीवन परिचय व प्रभाव स्रोत

जॉन रस्किन उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन के सबसे चर्चित ब्रिटिश लेखक, कला और स्थापत्यकार तथा कला-समालोचक थे। उनका जन्म ८ फरवरी १८१९ को बर्नस्विक स्कायर लन्दन में हुआ था। उनके पिता कला, साहित्य, यात्रा, चित्रकला, वास्तु तथा प्रकृति के प्रेमी थे। पिता की यह विरासत रस्किन को मिली। सात वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने छः कवितायें लिखी थीं। अपनी कविता के लिये उन्हें १८३९ में न्यूदिगेट पुरस्कार से नवाजा गया था। १८४३ में उन्हें एम.ए. डिग्री प्राप्त हुई और उस समय तक यूरोप के उन्नीसवीं शताब्दी के कवियों में उनकी रुचि का विस्तार हो चुका था। अपनी कला और विशेषतया मध्ययुगीन पुनर्जागरण युग के कवि के रूप में यूरोप की कई बार की गयी यात्रा में उन्होंने खूब आनन्द उठाया। जॉन रस्किन की अपनी कृतियों में मॉडर्न पेन्टर्स (पांच खण्डों में १८४-३६०) कला के क्षेत्र में काफी सराही गयी। उसी प्रकार 'दि सेवेन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर' (१८४९) और 'दी स्टोन्स ऑफ वेनिस' (खण्ड १,२,३) (१८५१) को वास्तुशास्त्र पर मौलिक पुस्तक के रूप में माना गया। कला समालोचक से लेखक बने जान रस्किन ने 'अन टू दिस लास्ट' नामक एक ऐसी पुस्तक का प्रणयन किया जिसे उनके जीवन का केन्द्रीय कार्य कहा जा सकता है। जॉन रस्किन के लिये मानवीय मूल्यों का क्षरण, प्राचीन कला और वास्तु का तेजी से समाप्त होना चिन्ता के विषय थे। उनके अनुसार कला, वास्तु और सामाजिक न्याय के बीच एक महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है और शायद यही वजह थी कि वे बाद में एक सच्चे समाज-सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हो गये। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, औद्योगीकरण, गरीबों की दुर्दशा का अनुभव किया और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने पिता द्वारा अर्जित पूरी सम्पत्ति को लगा दिया। वे १८६९ में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम स्लेड प्रोफेसर हुये। १८७१ में उन्हें क्रिस्टी कार्पस के लिये फेलो नियुक्त किया गया। १८७४ में उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुआ। १८७५ में 'ए सिरीज ऑफ ट्रैवलर' के रूप में उन्होंने अनेक यात्रायें कीं। १८८० में उन्होंने फिक्सन, फेयर ऐण्ड फाउल नामक नयी सिरीज का प्रकाशन प्रारम्भ किया। २० जनवरी १९०० को उनकी मृत्यु ब्रान्टउड में हुई।

१८४६ से १८५३ के बीच विशेषकर जब वे माडर्न पेन्टर्स (खण्ड दो), सेवेन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर तथा स्टोन्स ऑफ वेनिस (खण्ड एक-तीन) पर कार्य कर रहे थे, रस्किन के विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुये। वे लोगों से पूछने लगे कि जो पर्वतों और प्रकृति के मनोरम स्थानों में रहते हैं, वे इतने गरीब और हतोत्साहित क्यों हैं? इसका उत्तर था कि इसका कारण प्राकृतिक वातावरण नहीं बल्कि सामाजिक वर्ग और सिद्धान्त हैं जो अपने अन्यायपूर्ण नियमों तथा व्यवहार के कारण समाज में असमानता तथा गरीबों के शोषण के लिये जिम्मेदार हैं। रस्किन ने इन्हीं चिन्ताओं को अपनी पुस्तक 'अन टू दिस लास्ट' (१८६०) में व्यक्त किया है। यह पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा अर्थशास्त्र पर लिखे गये कुछ निबन्धों का संग्रह है। पहली बार इसके चार निबन्ध एक मासिक पत्रिका कार्नहिल[१] में छपे किन्तु लेखकों के प्रतिरोध के बाद इनके प्रकाशन को बन्द करना पड़ा। उसके बाद उन निबन्धों को पुस्तक के रूप में १८६२ में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में रस्किन ने श्रम विभाजन को अमानवीय बताते हुये कहा है कि ''राजनैतिक अर्थशास्त्र का नियम बिल्कुल फेल है क्योंकि वह उन सामाजिक बन्धनों की परवाह नहीं करता जो समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। लेन देन के नियमों के आधार पर हम कोई अर्थशास्त्र लागू नहीं कर सकते। आत्मा का बल अर्थशास्त्रियों के सभी नियमों को उलटा देता है। मनुष्यरूपी यन्त्र में पैसे रूपी कोयले डालने से ज्यादा से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। वह बढ़िया काम तो तभी करेगा जब उसकी भावना को जागृत किया जाय। सेठ नौकर के बीच गांठ पैसे की नहीं प्रीति की होनी चाहिये।[२]''

महात्मा गाँधी पर रस्किन का प्रभाव

जोहान्सबर्ग के एक शाकाहारी रेस्टूरेन्ट में गाँधीजी अपने दो घनिष्ठ मित्रों अल्बर्ट वेस्ट तथा हेनरी पोलाक से मिले। गाँधी के अनुरोध पर वेस्ट ने 'इंडियन ओपीनियन' का कार्य अपने हाथों में लिया जो उस समय काफी घाटे में चल रहा था। वेस्ट ने गाँधीजी को बताया कि 'इंडियन ओपीनियन' इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। गाँधीजी

ने अपनी आत्मकथा[3] (एक पुस्तक का चमत्कारी प्रभाव) में लिखा है कि 'इण्डियन ओपीनियन' के बढ़ते खर्च को लेकर वेस्ट की रिपोर्ट मुझे चौंकानेवाली थी। वेस्ट का पत्र मिलने के बाद १ अक्टूबर १९०४ को जोहान्सबर्ग से डरबन (नेटाल) के लिये रवाना हुए। पोलाक अब तक मेरी सब बातें जानने लगे थे। वे मुझे स्टेशन तक छोड़ने आये और यह कहकर कि यह पुस्तक रास्ते में पढ़ने योग्य है, आप इसे पढ़ जाइये, आपको पसन्द आयेगी, उन्होंने जॉन रस्किन की 'अन टू दिस लास्ट' पुस्तक मेरे हाथ में रख दी। उसे हाथ में लेने के बाद मैं छोड़ ही न सका। उसने मुझे पकड़ लिया। जोहान्सबर्ग से नेटाल का रास्ता लगभग चौबीस घन्टों का था। डरबन पहुंचने के बाद मुझे सारी रात नीद नहीं आई। मैंने पुस्तक में सूचित विचारों को तुरन्त अमल में लाने का इरादा किया।''

रस्किन के 'अन टू दिस लास्ट' का गाँधीजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक के विषय में महात्मा गाँधी ने लिखा है कि ''इसके पहले जॉन रस्किन की एक भी पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी थी। कुछ पुस्तकें जिन्हें मैं पढ़ा था, उनमें से जिसने मेरे जीवन में तत्काल महत्त्व के रचनात्मक परिवर्तन कराये, वह 'अन टू दिस लास्ट' ही कही जा सकती है। बाद में मैंने उसका गुजराती अनुवाद किया और वह सर्वोदय के नाम से छपा। मेरा विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्दर गहराई में छिपी पड़ी थीं, रस्किन के ग्रन्थरत्न में मैंने उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमाया और मुझसे उसमें दिये गये विचारों पर अमल करवाया। जो मनुष्य हममें सोई हुई उत्तम भावनाओं को जाग्रत करने की शक्ति रखता है, वह कवि है। सब कवियों का सब लोगों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अन्दर सारी सद्भावनायें समान रूप से नहीं होतीं। मैं जॉन रस्किन के सर्वोदय के सिद्धान्तों को इस प्रकार समझा हूं।

१. सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है।

२. एक वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिये क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको समान है।

३. सादा मेहनत-मजदूरी का एक किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।

पहली चीज मैं जानता था। दूसरी को मैं धुंधले रूप में देखता था। तीसरी पर मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। सर्वोदय ने मुझे दीये की तरह दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी दोनों चीजें समाई हुई हैं। सवेरा हुआ और मैं इन सिद्धान्तों पर अमल करने के प्रयत्न में लग गया।''[4]

थामस वेबर ने अपनी पुस्तक 'गाँधी ऐज डिसाइपुल एण्ड मेन्टर' (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस २००७) में लिखा है कि ''१९४२ में जब गाँधीजी ७० वर्ष के थे तो उस समय 'अन टू दिस लास्ट' के विषय में कहा था कि उस पुस्तक ने मुझे एक वकील और शहरी से डरबन से बाहर एक फार्म में रहनेवाले ग्रामीण के रूप में परिवर्तित कर दिया।''[5] कुछ विद्वान गाँधी पर रस्किन के प्रभाव को केवल उनके आर्थिक दर्शन में देखते हैं। गाँधीजी ने इसका संकेत 'अन टू दिस लास्ट' के गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में दिया है कि ''पश्चिम में लोगों का ध्यान नैतिकता और ईश्वरीय कानून से अलग शारीरिक और आर्थिक समृद्धि में ज्यादा है। किन्तु उनमें जॉन रस्किन अलग हैं और वह मानते हैं कि नीति के नियम का पालन करने में ही जनता की बेहतरी है। रस्किन गाँधीजी के आर्थिक विचारों के स्रोत थे।[6] यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि रस्किन के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विचारों को, न कि उसके अधिकारवाद को, गाँधीजी ने अपने निजी चिंतन में समाविष्ट किया। रस्किन ने गाँधीजी को ऐसे विचार प्रदान किया जिसने सम्पूर्ण गाँधी-प्रगति में आश्रम संगठन के आर्थिक सिद्धान्तों को मजबूत बनाया और बढ़ाया। 'अन टू दिस लास्ट' का तात्कालिक अमल फीनिक्स आश्रम के रूप में सामने आया जो सर्वोदय के विचारों का व्यवहार में प्रयोग करने का अवसर था।

एन्थोनी पारेल जो 'हिन्द स्वराज एण्ड अदर राइटिंग्स' के लेखक हैं, गाँधी पर पश्चिमी लेखकों के प्रभाव की समीक्षा करते हुये लिखते हैं कि १९०९ अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' को लिखने के पहले गाँधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'ए ज्वाय फार इवर एण्ड इट्स प्राइस इन दी मार्केट' को पढ़ा था। इस पुस्तक में रस्किन ने औद्योगिक सभ्यता की आलोचना करते हुये समाज की हरेक इकाई को विलासिता पूर्ण जीवन नहीं अपितु उसकी निम्नतम आवश्यकताओं - भोजन, वस्त्र और आश्रय आदि की व्यवस्था के लिये तर्क दिया है।

यह आश्चर्यजनक है कि रस्किन के विचारों को पश्चिम के स्थापित अर्थशास्त्रियों ने गम्भीरता से नहीं लिया। अर्थ के इतिहासकार भी उनके योगदान का कहीं भी उल्लेख नहीं करते। किन्तु बहुत से लेखकों ने रस्किन के विचारों को गाँधी के आर्थिक विचारों का विश्लेषण करते समय एक संचित कोश के रूप में माना है। अजित के. दासगुप्ता ने अपनी पुस्तक 'गाँधीज इकोनामिक थाट' में कहते हैं कि गाँधीजी यह मानते थे कि भौतिक समृद्धि एक सीमा के बाद न केवल अर्थहीन हो जाती है बल्कि नैतिक प्रतिमानों ओर नीतिक विकास को नुकसान भी पहुंचाती है।

दासगुप्ता ने कतिपय ऐसे सन्दर्भो का भी उल्लेख किया है जहां रस्किन के विचार गाँधी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। रस्किन यह मानते थे कि समाज में असमानता का जाति और वंश परम्परा प्रमुख कारण है। ऊंच और नीच, कमजोर और बलवान, धनी और अमीर जैसे भेदों का कारण वंश परम्परा ही है। यह प्रकृति के अनुसार भी सुसंगत है क्योंकि यह ईश्वर की योजना थी। दूसरे शब्दों मे रस्किन आदेशित पदानुक्रम में विश्वास करते थे। इसलिये उनके अनुसार समाज के कुछ वर्गों की उपेक्षा और शोषण तो हमेशा ही होता रहा है और होता रहेगा और राज्य का उत्तरदायित्व होगा उन्हें पर्याप्त भोजन, वस्त्र और घर मुहैय्या कराने का। इसलिये रस्किन ने अन्तत: एक संरक्षण राज्य के अस्तित्व को माना। उनके अनुसार इसलिये नैतिक आदर्श और मूल्य समाज/राज्य के दायरे में आते हैं न कि वह व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। गाँधीजी के अनुसार व्यक्ति पर ही मुख्य रूप से विचार केन्द्रित होना चाहिये क्योंकि ईश्वररूपी एक ही सत्ता के प्रतिरूप होने से सभी व्यक्ति समान हैं। इसलिये व्यक्ति की समानता को स्वीकार करना, आदर करना मूल नैतिक मूल्य है और साथ ही उसका अनुरक्षण करना सबकी जिम्मेदारी है। गाँधीजी के अनुसार इसमें सरकार या राज्य की जिम्मेदारी कम से कम है। उन्होंने आर्थिक और नैतिक कारणों से गैर राज्य उद्यम को काफी पसन्द किया।

अत: यह स्पष्ट है कि व्यक्ति और राज्य के रोल पर गाँधी और रस्किन के विचारों में अन्तर था। फिर भी गाँधीजी ने अपने को रस्किन का शिष्य क्यों कहा, यह एक दिलचस्प प्रश्न है। इसके दो कारण हैं-पहला तो यह कि गाँधीजी ने जिससे भी कुछ सीखा अपनी विनम्रता के कारण उसका श्रेय उसे दिया, दूसरे जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका अध्ययन अपेक्षाकृत कम था। यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त होगा कि गाँधी की बौद्धिक वृद्धि, विचार और कार्यों में उनके गुरु और उपदेशकों से कहीं अधिक थी।

सन्दर्भ -

१) Gandhi's Teachers, John Ruskin, Satish Sharma, P. 14; २) सर्वोदय, महात्मा गाँधी, पृ. ६; ३) आत्मकथा, पृ. २५८; ४) वही, पृ. २५८; ५) Gandhi as Disciple and Mentor, Thomas Weber, P. 37; ६) वही, पृ. ३७

धर्मान्तरण और महात्मा गाँधी

आज भारत में धर्मान्तरण का प्रश्न एक बार फिर बहुत तेजी से उठ खड़ा हुआ है। यह प्रश्न नया नहीं है, किन्तु जिस तरह से स्वयंभू धार्मिक नेताओं ने धर्मान्तरण के अर्थ को विद्रूपित करते हुये इसे नैतिकता का जामा पहनाने की कोशिश की है, वह चिन्ता का विषय है। धर्मान्तरण एक अभिशाप है जिसके विषय में यदि समय रहते नहीं चेता गया तो इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये सभी धर्म एक भारतीय संस्कृति के गुलदस्ते में लगे भिन्न-भिन्न फूल हैं। ये सभी विभिन्नता में एकता के प्रतीक हैं किन्तु कुछ विदेशी धार्मिक संस्थायें धर्मान्तरण के माध्यम से हमारी संस्कृति की समरसता को तार-तार करने पर आमादा हैं। गाँधीजी के समय भी धर्मान्तरण का प्रश्न खड़ा था, उस समय उन्होंने इस प्रश्न पर गम्भीर चिन्तन किया और लिखा। आइये जानते हैं धर्मान्तरण पर गाँधीजी के विचार

– सम्पादक

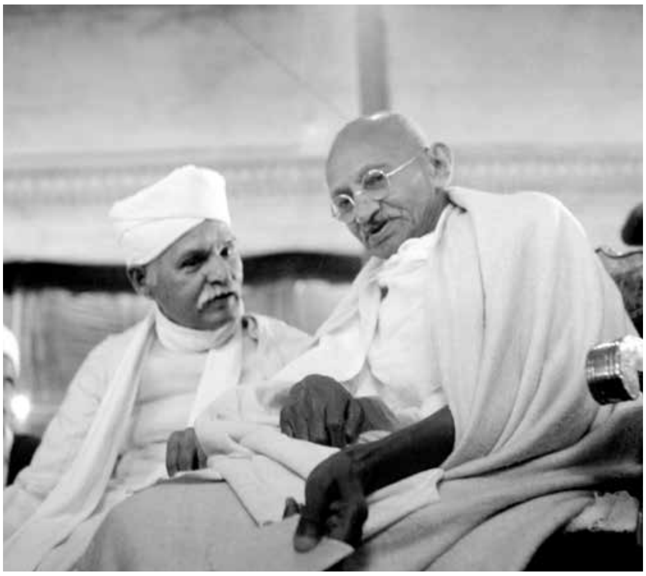

धर्मान्तरण के मुद्दे पर महामना पं. मदनमोहन मालवीय से विचार करते हुए गाँधीजी

आज धर्मान्तरण का प्रश्न एक यक्ष प्रश्न बन कर उभरा है। आगरा में वेद नगर के बाद अब मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव डावली में २०१४ में क्रिसमस की शाम एक मुस्लिम परिवार के विधिविधान से हिन्दू धर्म को अपनाने का मामला सामने आया है। गुजरात के वलसाड़ में १७० परिवारों के वापस हिन्दू धर्म स्वीकार करने का मामला सामने आया है तब से हड़कम्प मचा हुआ है। न केवल आगरा परन्तु छत्तीसगढ़, झारखण्ड, रतलाम (म.प्र.) उड़ीसा आदि राज्यों में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्मान्तरण का मामला सामने आया है।

यह धर्मान्तरण है क्या? धर्मान्तरण किसी नये धर्म को अपनाने का कार्य है जो धर्मान्तरित हो रहे व्यक्ति के पिछले धर्म से सर्वथा भिन्न हो। एक ही धर्म के किसी एक सम्प्रदाय से दूसरे में होनेवाले परिवर्तन को सामान्यतया धर्मान्तरण के बजाय पुनर्सम्बद्धता कहा जाता है। धर्मान्तरण अनेक कारणों से होता है जिनमें जातिवाद, ऊंच-नींच एक कारण है तथा भय, लालच तथा षड्यन्त्र दूसरा कारण है। इन धर्मान्तरणों में स्वेच्छा से होनेवाले सक्रिय धर्मान्तरण, मृत्यु शैय्या पर होनेवाला धर्मान्तरण, किसी लाभ के लिये किया जानेवाला तथा वैवाहिक धर्मान्तरण तथा बलपूर्वक किया जाने वाले धर्मान्तरण शामिल हैं।

इतिहास के पन्नों में जायें तो हेलेनिस्टिक व रोमन काल में कुछ फैरिसी लोग उत्सुक नवदीक्षित थे और पूरे समाज में उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली। नवदीक्षित (Proselyte) शब्द यहूदी धर्म में धर्मान्तरित होनेवाले ठीक व्यक्ति का उल्लेख करने के लिये प्रयोग किया जाता है। ईसाई धर्म में होने वाला धर्मान्तरण किसी पूर्व गैर ईसाई व्यक्ति का ईसाइयत के रूप में होनेवाला धार्मिक परिवर्तन है। स्वाभाविक रूप से किसी का सच्चा धर्मान्तरण बल पूर्वक नहीं किया जा सकता। अधिकांश ईसाइयों का विश्वास है कि धर्म परिवर्तन जिसे ईसा मसीह के वचनों व कर्मों में धर्मोपदेश को साझा करने के रूप में समझा जाता है, प्रत्येक ईसाई का उत्तरदायित्व है। 'न्यू टेस्टामेन्ट' के अनुसार ईसा ने अपने शिष्यों को सभी राष्ट्रों में जाने व शिष्य बनाने का आदेश दिया था।[१] जिसे सामान्यत: 'ग्रेट कमीशन' के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म में धर्मान्तरण की प्रक्रिया में ईसाई सम्प्रदायों के बीच कुछ अन्तर है। जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट में से अधिकांश प्रोटेस्टेन्ट मोक्ष प्राप्ति के लिये विश्वास के द्वारा धर्मान्तरण को मानते हैं। परन्तु ईसाई समुदाय का हर वर्ग ऐसा नहीं मानता।

इस्लाम की शिक्षा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मुस्लिम होता है। क्योंकि जन्म लेनेवाले प्रत्येक शिशु का स्वाभाविक झुकाव अच्छाई की ओर और एक सच्चे ईश्वर की आराधना की ओर होता है लेकिन उसके अभिभावक और समाज उसे सीधे मार्ग से भटका सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया है। हांलाकि इस्लाम की ओर धर्मान्तरण उसके सर्वाधिक समर्थित तत्त्वों में से एक है लेकिन इस्लाम से किसी अन्य धर्म में धर्मान्तरण को स्वधर्म त्याग का घोर पाप माना जाता है।

हिन्दुत्व धर्मान्तरण का समर्थन नहीं करता। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है कि कौन व्यक्ति हिन्दू कब बनता है क्योंकि हिन्दू धर्म ने कभी भी किसी धर्म को अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं माना। हिन्दुत्व की एक सामान्य अवधारणा है कि हिन्दू होने के लिये व्यक्ति को हिन्दू के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हिन्दू के रूप में जन्मा है तो वह सदा के लिये हिन्दू ही रहता है। हांलाकि भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को तभी हिन्दू के रूप में मान्यता प्रदान करता है जब वह स्वयं को हिन्दू घोषित करे। धर्मान्तरण की अवधारणा ही एक विरोधाभास है क्योंकि हिन्दू ग्रन्थ वेद और उपनिषद् सम्पूर्ण व्रिश्व को एक ही सत्य को देवता माननेवाला एक परिवार मानते हैं – 'एकं सत् विप्रा: बहुधा वदन्ति'[२] अथवा 'वसुधैव कुटुम्बकम'।[३] हिन्दू धर्म में सामूहिक धर्मान्तरण का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। हाल ही में हिन्दुत्व से धर्मान्तरित लोगों के पुन: धर्मान्तरण करने की अवधारणा का प्रचलन हुआ है। किन्तु यह धर्मान्तरण सदैव ही अन्य प्रमुख धर्मों के प्रचारीकरण (Evangelization) धर्मान्तरण, धर्मपरिवर्तन तथा उन गतिविधियों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। हिन्दू पुनर्जागरण आन्दोलनों के विकास के फलस्वरूप ऐसे लोगों के पुन: धर्मान्तरण के कार्य में गति आई है जो पहले हिन्दू थे या जिनके पूर्वज हिन्दू थे।

भारतीय संविधान भारत में सबको धार्मिक स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार देता है। धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५-२८ में दिया गया है। अनुच्छेद २५ सभी लोगों को विवेक की स्वतन्त्रता तथा अपनी पसन्द के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार

की स्वतन्त्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा राज्य की सामाजिक कल्याण और सुधार के उपाय करने की शक्ति के अधीन होते हैं। किन्तु प्रचार के अधिकार में यह किसी अन्य व्यक्ति के धर्मान्तरण का अधिकार नहीं देता क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है। धारा २५ (१) में प्रचार को स्पष्ट करते हुये कहा गया है कि कोई भी धर्म अपने धर्म का प्रचार उसके सिद्धान्तों के आधार पर कर सकता है न कि धर्मान्तरण द्वारा। भारतीय संसद ने पहली बार १९५४ में धर्मान्तरण विधेयक का संज्ञान लिया। १९६० में फिर इसे लाया गया किन्तु अल्पसंख्यकों के भारी विरोध के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका। १९६८ में मध्य प्रदेश में 'मध्य प्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य अधिनियम' तथा उड़ीसा में 'फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऐक्ट' लाया गया। इन कानूनों के तहत किसी को भी जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसकी आस्था के बाद ही यह कदम वैध माना जायेगा।

आइये देखें मानवाधिकार इस बारे में क्या कहता है? मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के वैश्विक घोषणापत्र United Nations Universal Declaration of Human Rights में धर्मान्तरण को एक मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास विचार, विवेक और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपने धर्म या आस्था को बदलने की स्वतन्त्रता शामिल है (अनुच्छेद १८)। United Nations Universal Declaration of Human Rights के अनुसार अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने की स्वतन्त्रता शामिल होगी (अनुच्छेद १८:१)। किसी भी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकेगा जिससे अपनी इच्छानुसार किसी धर्म या आस्था का पालन करने या उसे अपनाने की उसकी स्वतन्त्रता बाधित होती हो (अनुच्छेद १८.२)। अत: धर्मान्तरण यदि स्वेच्छा से हो तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। किन्तु वैसा होता नहीं, प्रलोभन देकर किये जानेवाले धर्मान्तरण को भी स्वेच्छा से हुआ धर्मान्तरण कहा जाता है।

धर्मान्तरण का सबसे अधिक लाभ यदि किसी को हुआ है तो वह मुसलमानों और ईसाइयों को हुआ है। यही कारण है कि जब १९७८ में लोकसभा में जनतादल के एक सांसद ओम प्रकाश पुरुषार्थी ने एक निजी विधेयक लाकर धर्मान्तरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की तो मुसलमान और ईसाई सड़कों पर उतर आये। राजधानी दिल्ली में इसके खिलाफ ईसाई संगठनों द्वारा जिस मार्च का आयोजन किया गया था, उसका नेतृत्व मदर टेरेसा ने किया था। मुसलमानों की तरफ से जम़ाते उलेमा के अध्यक्ष असद मदनी भी मैदान में कूद पड़े थे। इनका तर्क था कि धर्मान्तरण पर पाबन्दी लगाना भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा जिसकी धारा २५ के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। हिन्दू धर्म का आधार धर्मान्तरण नहीं बल्कि जन्म है जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म में यह जरूरी नहीं कि जो बच्चा किसी मुसलमान या ईसाई परिवार में जन्म लिया हो उसे जन्म से ही उस धर्म का अनुगामी मान लिया जाय। ईसाई या मुसलमान बनने के लिये इन दोनों धर्मों के धर्माचार्य विशेष संस्कारों का आयोजन करते हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दुओं ने कभी भी धर्मान्तरण का प्रयास नहीं किया जबकि अन्य धर्म धर्मान्तरण के सहारे ही फैले हैं। बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन[४] ने अपने एक लेख में स्पष्टत: कहा है कि गुर, प्रलोभन, बल एवं धमकी ये मुख्य कारण हैं जिनसे ईसाई एवं इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल पाये। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में आज जो करोड़ों मुसलमान और ईसाई हैं, उनके पूर्वज कभी हिन्दू हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर के नेशनल कान्फ्रेंस के प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला ने अपनी आत्मकथा 'आतिशे चिनार' में यह स्वीकार किया है कि उनके दादा हिन्दू थे और उनका नाम प्रेमनाथ कौल था। उर्दू के प्रख्यात कवि और पाकिस्तान के प्रवर्तक शेख मुहम्मद इकबाल ने भी यह स्वीकार किया है कि उनके दादा का नाम रतनचन्द सप्रू था। यदि ऐसे लोग पुन: हिन्दू धर्म में वापसी चाहें तो किसी को ऐतराज क्यों?

हाल ही में आगरा में हुये धर्मान्तरण को कतिपय हिन्दू संगठन और सरकार घर वापसी की संज्ञा दे रहे हैं। यदि धर्मान्तरित हिन्दू अपने पुरुषों के धर्म में वापस आना चाहते हैं तो यह उनका पूर्ण और संवैधानिक अधिकार है। हिन्दू किसी पारसी, ईसाई या मुस्लिम का धर्मान्तरण नहीं कर रहे हैं बल्कि जो पहले हिन्दू थे और किन्हीं प्रलोभन या कारणों से किसी अन्य धर्म में दीक्षित हो गये थे और अब स्वेच्छा से अपनी गलती का एहसास होने पर अपने पुराने धर्म का वरण करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? भारतीय संविधान हमें अन्त:करण की स्वतन्त्रता की गारंटी देता है, संविधान किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार करने का अधिकार भी देता है। यदि धर्मान्तरण करने का प्रमुख लक्ष्य लेकर घूमनेवाले संसाधनों से लैस संगठित संगठनों को धर्मान्तरण की खुली छूट दी जाय तो आप घर वापसी जैसे अभियानों को कैसे रोक सकते हैं?

धर्मान्तरण पर गाँधीजी के विचार

महात्मा गाँधी के धर्मपरिवर्तन से सम्बन्धित विचार 'हरिजन' में २२ मार्च १९३५ के 'डिप्लोरिंग कन्वर्जन' नामक हेडिंग के अन्तर्गत विस्तार से दिये गये हैं। महात्मा गाँधी के विचारों का मूल तत्त्व था भारतीयता के धागे में सभी देशवासियों को पिरोना। गाँधीजी के शब्दों में उस भारत जिसे बनाने के लिये मैंने जीवन भर काम किया है, में सभी लोग चाहे वे किसी धर्म के हों, बराबर होंगे।[५] मेरे लिये विभिन्न धर्म एक ही बगीचे के भिन्न-भिन्न सुन्दर फूल हैं अथवा एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखायें हैं।[६] धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिये धर्म को किसी दूसरे पर थोपा नहीं जाना चाहिये।

गाँधीजी धर्मान्तरण के मुद्दे की गम्भीरता को भलीभांति समझते थे। चाहे वह ईसाइयों का नवदीक्षितीकरण (Proselytyzing) ही क्यों न हो। धर्मान्तरण के विषय में गाँधीजी ने कहा था कि 'मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करे। दूसरे के धर्म को कम करके आंकना मेरा प्रयास कभी नहीं होना चाहिये। इसका अर्थ है सभी धर्मों के सच में विश्वास करना और उसका सम्मान करना। यही सच्ची विनम्रता है।'[७] 'जिस तरह से भारत और अन्य देशों में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है मेरे लिये उससे सहमति रखना असम्भव है। यह विश्व में शान्ति की स्थापना में सबसे बड़ा अवरोध है। एक ईसाई क्यों किसी हिन्दू को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहता है? वह उस हिन्दू से क्यों सन्तुष्ट नहीं है जो एक अच्छा इंसान या हिन्दूधर्मी है'।[८] 'व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच का सम्बन्ध नितान्त व्यक्तिगत है। मैं अपने पड़ोसी पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं डाल सकता कि वह किस धर्म का सम्मान करता है, जब मैं स्वयं अपने धर्म का सम्मान करता हूं। विश्व के अनेक धार्मिक साहित्य को पढ़ने के बाद मुझे किसी ईसाई, मुसलमान, पारसी या ज्यू को यह कहने का कोई कारण नहीं दिखता कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो, अपेक्षा इसके कि मैं खुद अपने धर्म को परिवर्तित करने को सोचूं।'[९] गाँधी स्वीकार करते हैं कि किसी धर्म में जबरदस्ती धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है।

दार्जिलिंग के स्कूल आफ लैंग्वेजेज में

इस कार्यक्रम में सी. एफ. एन्ड्रूज ने एक बार गाँधीजी से पूछा था कि आप उस मनुष्य को क्या कहेंगे जो बहुत विचार और प्रार्थना के बाद यह कहे कि मुझे तो ईसाई बने बिना शान्ति और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती? गाँधीजी ने कहा कि 'मैं कहूंगा कि यदि कोई गैर ईसाई या हिन्दू किसी ईसाई

के पास आये और यह कहे तो ईसाई को कहना चाहिये कि धर्म बदलने में कल्याण खोजने की अपेक्षा वह एक अच्छा हिन्दू बनने का प्रयास करे'[१०]।

सी. एफ. एन्ड्रूज जो यह विचार पहले ही त्याग चुके थे कि ईसाई बने बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, गाँधीजी से पुन: पूछते हैं कि यदि आक्सफोर्ड ग्रुप मूवमेन्ट वाले आपके पुत्र का जीवन बदल दें और उसकी इच्छा धर्म परिवर्तन की हो जाय तो आप क्या कहेंगे? गाँधीजी ने कहा कि मैं तो आक्सफोर्ड ग्रुप मूवमेन्ट वालों से यही कहूंगा कि वे लोग जितना चाहें उतने लोगों का जीवन बदल दें किन्तु उनका धर्म न बदलें। वे उन्हें अपने धर्मों की उत्तम बातों की तरफ उनका ध्यान दिला सकते हैं और उनके अनुसार जीवन बिताने का अनुरोध करके उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं।

एन्ड्रूज: मैं यह जरूर कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को सचमुच धर्म-परिवर्तन की आवश्यकता हो तो मुझे उसके रास्ते में बाधक नहीं बनना चाहिये।

गाँधीजी: परन्तु आप यह नहीं देखते कि आप तो उसे मौका ही नहीं देते? आप उससे जिरह तक नहीं करते। मान लीजिये की कोई ईसाई मेरे पास आता है और कहता है कि भागवत पढ़कर वह मुग्ध हो गया है और इसलिये अपने को हिन्दू घोषित करना चाहता है, तो मुझे उससे कहना चाहिये, नहीं! जो चीज भागवत देती है वह बाईबिल भी देती है। तुमने अभी तक उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की है। कोशिश करो और अच्छे ईसाई बनो।

एन्ड्रूज: अगर कोई आग्रहपूर्वक कहता है कि वह अच्छा ईसाई बनेगा तो मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें बनना हो तो बनो यद्यपि आप जानते हैं कि मैंने स्वयं अपने जीवन में मेरे पास आनेवाले उत्कट उत्साहियों को जोर देकर रोका है।

गाँधीजी: अगर कोई आदमी बाईबिल में विश्वास रखना चाहता है तो वह ऐसा कहे, परन्तु उसे स्वयं अपना धर्म क्यों छोड़ देना चाहिये? इस धर्म परिवर्तन कराने की प्रवृत्ति से शान्ति नहीं होगी। धर्म अत्यन्त व्यक्तिगत वस्तु है।

गाँधीजी ने अपना कथन जारी रखते हुए कहा, विचार कीजिये कि आप-परस्पर सहिष्णुता की स्थिति स्वीकार करने जा रहे हैं या सब धर्मों की समानता की। मेरी स्थिती यह है कि मूल में सब बड़े-बड़े धर्म समान हैं। हमको अपने धर्म की तरह दूसरे धर्म के लिए भी जन्मजात आदर होना चाहिये। ध्यान रहे कि मैं परस्पर सहिष्णुता नहीं, परन्तु सब धर्मों के लिये समान आदर चाहता हूँ।[११]

अन्त:करण सबके लिए एक ही वस्तु नहीं है। यद्यपि व्यक्तिगत आचरण के निर्णय के लिए वह अच्छा मार्गदर्शक है, लेकिन सब पर वही आचरण लादना सबके अन्त:करण की स्वतंत्रता में असह्य हस्तक्षेप करना होगा।[१२]

इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधीजी किसी भी रूप में धर्मान्तरण के समर्थक नहीं थे। किन्तु आज कल जिसे तथाकथित घरवापसी की संज्ञा दी जा रही है, उसे उन्होंने गलत नहीं माना।

गाँधीजी लिखते हैं कि 'एक पत्र-लेखक ने धर्मान्तरण से सम्बन्धित मुझसे चार प्रश्न किये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:

१. जिन हिन्दुओं ने किन्हीं कारणों से स्व धर्म का त्याग करके इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, वे अब हृदय से पछताते हैं और पुन: हिन्दू धर्म में आना चाहते हैं। हमें उन्हें वापस हिन्दू-धर्म में लेना चाहिए या नहीं? आप अपने लड़के हरिलाल का ही उदाहरण लें।[१३]

२. आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में दलित-वर्गों के लोग सामूहिक रूप से ईसाई धर्म में शामिल हो गये हैं। त्रावणकोर दरबार की घोषणा[१४] के बाद से हरिजन-आन्दोलन वहाँ और लोकप्रिय हुआ तब से कुछ लोग अपने पूर्वजों के धर्म को फिर से स्वीकार कर लेना चाहते हैं। उनके बारे में आप क्या सलाह देंगे?

३. एक हिन्दू को अमुक लोभ देकर दूसरे धर्म में शामिल कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी आँखे खुल जाती हैं, और वह यहाँ आकर हमारा दरवाजा खटखटाता है। उसका हम स्वागत करेंगे या नहीं?

४. छोटे-छोटे हिन्दू बालक-बालिकाओं को अक्सर ये पादरी लोग हथिया लेते हैं और उनका धर्म-परिवर्तन कर देते हैं। कभी-कभी मुसलमान भी अपने यतीमखानों का उपयोग इस काम के लिए करते हैं। ऐसे लड़के और लड़कियां, अकेले या अपने अभिभावकों के साथ, 'अगर हमारे पास आकर अपनी शुद्धि कराना चाहें, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए?'

गाँधीजी ने कहा कि 'मेरी राय में ये सच्चे हृदय-परिवर्तन के उदाहरण नहीं हैं। अगर कोई आदमी डर से, जोर जबरदस्ती से, भूख से या कुछ रुपये-पैसे के लालच में आकर दूसरे धर्म में चला जाता है, तो उसे हृदय परिवर्तन का नाम नहीं दिया जा सकता है। हम सामूहिक धर्म-परिवर्तन के जिन प्रसंगों के विषय में इधर दो वर्ष से सुनते आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर तो मेरे विचार में खोटे सिक्के हैं। सच्चा मत-परिवर्तन हृदय से होता है; किसी अजनबी आदमी की प्रेरणा से नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से होता है। कौन-सी आवाज मनुष्य की है और कौन-सी ईश्वर की, इसे तो हम हमेशा पहचान सकते हैं। पत्र-लेखक ने जो काल्पनिक दृष्टान्त दिये हैं, मैं मानता हूँ, वे सच्चे मत-परिवर्तन के दृष्टान्त नहीं हैं। इसलिए ऐसे पश्चाताप करनेवालों को मैं बगैर किसी शोर-गुल के और निश्चय ही शुद्धि के बिना हिन्दू धर्म में दाखिल कर लूंगा। ऐसे लोगों को शुद्धि की जरूरत ही नहीं है। और चूँकि मेरी यह मान्यता है कि इस जगत् के सभी महान धर्म समान हैं, इसलिए यदि कोई आदमी जिस डाल पर बैठा हो उसे छोड़कर उसी वृक्ष की दूसरी डाल पर बैठ जाता है तो इससे वह अपवित्र अथवा दूषित हो जाता है, सो मैं नहीं मानता। वह अगर अपनी मूल डाल पर फिर से बैठना चाहता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कहना उचित नहीं कि जिस कुटुम्ब में वह पहले था उसे छोड़कर वह चला गया, इसलिए उसने कोई पाप किया। और जब वह सच्चे हृदय से अपनी भूल का प्रायश्चित्त करता है और अपने धर्म में वापस आ जाता है तो जिस हदतक उसने भूल की थी उस हदतक वह उसका परिष्कार भी कर लेता है। इस तरह प्रायश्चित्त करके वह शुद्ध हो जाता है।'[१५]

सन्दर्भ –

१) मैथ्यू २८:१९, २) ऋग्वेद १:१६४:४६, ३) महा उपनिषद् अध्याय ६, पद्य ७२, ४) Tricks & Treats, Coercion, Threats, manhandling and extermination are the methods by which Christianity and Islam spread throughout the world. If these two tools has not been adopted, neither of the two religions would have crossed the territorial boundaries of West Asia. Financial Chronicle 21st December 2014, ५) गाँधी एण्ड कम्युनल हार्मोनी,१९४४ पृ. २७६, ६) हरिजन ६४:३२६, ७) यंग इंडिया, २३ अप्रैल १९२३, ८) हरिजन, ३० जनवरी, १९३७, ९) हरिजन, ३० सितम्बर, १९३५, १०) वही, ११) हरिजन २८-११-३६, पृ. ३३०, १२-अ) यंग इंडिया, २३-९-२६, पृ. ३३४, १२-ब) मेरा धर्म, महात्मा गाँधी, सम्पा. भारतन् कुमारप्पा, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर,अहमदाबाद,१९६०, पृ. ३६-३८, १३) देखिए खण्ड ६२, पृ. २३५ और ४९७ खण्ड ६३, पृ. ६-८ भी।, १४) देखिए खण्ड ६४, पृ. ५४-५५, १५) सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, खण्ड ६६, १ अगस्त १९३४- ३१ मार्च १९३८, पृ. १८१-८२

जाति से बाहर

महात्मा गाँधी ने 'सत्य के प्रयोग' अथवा अपनी 'आत्मकथा' में अपने जीवन के अनेक पहलुओं पर बेबाक जानकारी दी है। इसलिए उनकी आत्मकथा से खोज गाँधीजी की के प्रत्येक अंक में एक लेख क्रम से दिए जा रहे है। प्रस्तुत है उनकी आत्मकथा से यह उनका महत्त्वपूर्ण लेख **– सम्पादक**

माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुँचा। पहुँच तो गया, पर वहाँ मित्रों ने भाई को बताया कि जून-जुलाई में हिन्द महासागर में तूफान आते हैं और मेरी यह पहली ही समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दीवाली के बाद यानी नवम्बर में रवाना करना चाहिये। और किसी ने तूफान में किसी अगन बोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई घबराये। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरन्त रवाना करने से इनकार किया और मुझको बम्बई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद वापस नौकरी पर हाजिर होने के लिए राजकोट चले गये। वे एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गये और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गये।

बम्बई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे।

इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलायी गयी। अभी तक कोई मोढ़ बनिया विलायत नहीं गया था, और मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे जवाब-तलब किया जाना चाहिये। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गयी। हाजिर रहने में मुझे न तो संकोच हुआ, न डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका सम्बन्ध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा –

जाति का खयाल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है, वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है, तिस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ साहब लोगों के साथ खाना-पीना पड़ता है।

मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेशमात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्याध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है, उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूँगा।

सरपंच बोले: पर हम तुझसे कहते हैं, कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा सम्बन्ध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिये।

मैंने जबाव में कहा: आपके साथ में सम्बन्ध को मैं जानता हूँ। आप पिता के समान हैं। पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान् ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है।

परंतू जाति का हुक्म नहीं मानेगा? मैं लाचार हूँ। मेरा खयाल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिये।

इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे दो-चार बातें सुनायी। मैं स्वस्थ बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया:

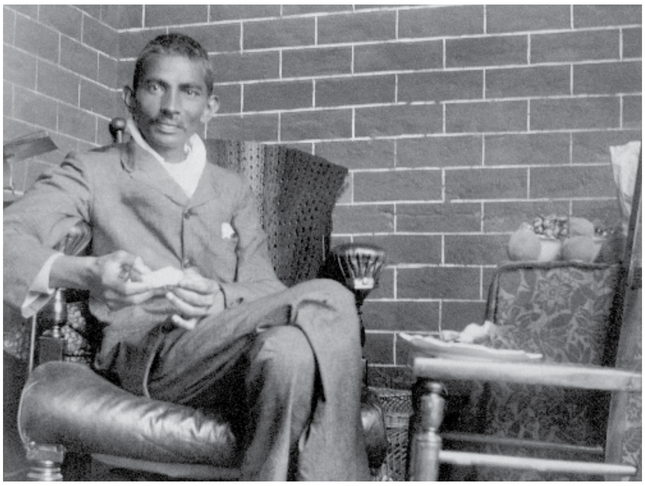

महात्मा गाँधी

यह लड़का आज से जातिच्युत माना जायेगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे बिदा करने जायेगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे सवा रुपया दण्ड का लिया जायेगा।

मुझपर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से बिदा ली। अब सोचना यह था कि इस निश्चय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वे डर गये तो? सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के निश्चय के बावजूद वे मुझे विलायत जाने से नहीं रोकेंगे।

इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। भाई पर दबाव पड़ा तो क्या होगा? दूसरा कोई विघ्न आ गया तो? इस चिन्ता में मैं अपने दिन बिता रहा था कि इतने में खबर मिली कि ४ सितम्बर को रवाना होनेवाले जहाज में जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टर के लिए विलायत जानेवाले हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों से मेरे बारे में कह रखा था, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी यह साथ न छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार किया और जाने की इजाजत माँगी। उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने बहनोई से पैसे माँगे। उन्होंने जाति के हुक्म की चर्चा की। जातिच्युत होना उन्हें पुसाता न था। मैं अपने कुटुम्ब के एक मित्र के पास पहुँचा और उनसे विनती की कि वे मुझे किराये वैगेरह के लिए आवश्यक रकम दे दें और बाद में भाई से ले लें। उन मित्र ने ऐसा करना कबूल किया, इतना ही नहीं, बल्कि मुझे हिम्मत भी बँधायी। मैंने उनका आभार माना, पैसे लिये और टिकट खरीदा।

विलायत की यात्रा का सारा सामान तैयार करना था। दूसरे एक अनुभवी मित्र ने सामान तैयार करा दिया। मुझे सब अजीब-सा लगा। कुछ रुचा, कुछ बिलकुल नहीं रुचा। जिस नेकटाई को मैं बाद में शौक से लगाने लगा था, वह तो बिलकुल नहीं रुची। वास्कट नंगी पोशाक मालूम हुई। पर विलायत जाने के शौक की तुलना में यह अरुचि कोई चीज न थी। रास्ते में खाने का सामान भी पर्याप्त ले लिया था।

मित्रों ने मेरे लिए जगह भी त्र्यम्बकराय मजुमदार (जूनागढ़ के वकील का नाम) की कोठरी में ही रखी थी। उनसे मेरे विषय में कह भी दिया था। वे तो प्रौढ़ उमर के अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनियां के अनुभव से शून्य अठारह साल का नौजवान था। मजुमदार ने मित्रों से कहा, आप इसकी फिक्र न करें।

इस तरह १८८८ के सितम्बर महीने की ४ तारीख को मैंने बम्बई का बन्दरगाह छोड़ा।

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से साभार, पृष्ठ क्र. ३५-३७:

आज की समाज रचना

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के संस्थापक डॉ. भवरलाल जैन एक गम्भीर लेखक एवं चिंतक हैं। पिछले अंक में हमनें आपकी मराठी कृति 'आज की समाज रचना' से समाज में बढ़ रही आराजकता तथा उसके प्रति भारतीय न्यायालय के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित उनका लेख प्रकाशित हुआ था, प्रस्तुत है उस लेख का शेष अंश।
*– **सम्पादक***

डॉ. भवरलालजी जैन

न्यायपालिका

वर्तमान समय में न्यायपालिका समाज की अंतिम आशा किरण के रूप में शेष बची हुई है। किन्तु उसका नियंत्रण प्रशासन के अधीन होने के कारण उसका प्रभाव जितना होना चाहिए उतना दिखाई नहीं पड़ता है। साथ ही कानून की जिस मर्यादा और ढाँचे की चौखट में रह कर उसे न्याय करना पड़ता है, वही मूल रूप से बहुत पुराना हो चुका है और उसका सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ कोई सम्बन्ध भी दिखाई नहीं देता है। यद्यपि आज भी व्यक्तिगत हितों एवं अधिकारों की अपेक्षा समाज हित और समाज कल्याण की भावना अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी मूल अवधारणा ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाई गई न्याय-नीति पर आधारित है जो आज भारतीय समाज और उसकी संस्कृति के लिए अपेक्षित नहीं है। लंबित मुकदमों और कानून के विरोधाभासों के कारण भ्रष्टाचार का भी अवसर मिलता है। इसके अलावा न्यायालय स्वयं भी अपने कार्यों के बोझ तले इस तरह दब कर रह गए हैं कि न्याय प्रक्रिया पूरी होने में एक-दो महीना नहीं, एक, दो साल नहीं, एक-दो दशक आसानी से लग जाते हैं। न्याय में विलंब ही न्याय को नकारना है। आज ऐसी धारणा पूरी तरह से समाज में बन गई है। इसलिए कानून का भय और विश्वास दोनों ही समाप्त होते जा रहे है या हम यह भी कह सकते है कि यह व्यवस्था निश्चित रूप से अप्रभावी हो गई है। आज ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि विधि और न्याय समाज का एक प्रमुख स्तम्भ है।

निर्भयता; ढीठता; मनमानी; जो होगा देखा जाएगा; जब आएगा, तब देख लेंगे; उस समय जो सामने आएगा, उससे निपट लेंगे आदि प्रवृत्तियों की धमाचौकड़ी समाज में सर्वत्र दिखाई देती है। यह अब राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं तक ही सीमित नहीं रह गई है, अपितु समाज के अन्य स्तरों तक भी जा पहुँची है। इनमें प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों और व्यापारियों आदि का भी समावेश हो गया है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में से उपजे षड्यंत्र, झगड़े-टंटे-बखेड़े, अन्य छोटे-मोटे-बड़े अपराधों को झेलने-रोकने या उनको उन्मूलन करने का सामर्थ्य किसी भी न्याय व्यवस्था के वश की बात नहीं रह गई है। आज समाज में ऐसी बिकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अच्छे कानून और न्यायव्यवस्था से समाज में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। हर स्तर पर सृजनशीलता एवं उत्पादकता द्विगुणित हो जाती है। इससे विपरीत परिस्थिति में लगभग सभी क्रियाशील नागरिकों की आधी से अधिक शक्ति शासन; आस-पास की परिस्थितियों उससे जुड़ी व्यवस्था करने में ही खर्च हो जाती है। जब पूरा आसमान ही फट गया है तो पैबंद कहाँ, कैसे और कौन लगाए? जिस समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, उस समाज में न्यायपालिका भी क्या उपाय कर सकेगी? ऐसा प्रश्न आज स्वाभाविक रूप से सम्पूर्ण समाज के समक्ष उपस्थित हो गया है।

न्यायपालिका के समक्ष उत्पन्न इस परिस्थिति पर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मा. चंद्रशेखर धर्माधिकारी ने प्रखर प्रकाश डाला है। जलगाँव में सम्पन्न हुए एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपूर्ण है, इस बात की आशंका व्यक्त की जा सकती है। अंग्रेजियत से उपजी न्याय प्रणाली से सही न्याय का मिलना संभव नहीं है। पूर्ण न्याय मिलने के लिए न्यायिक प्रणाली को ही परिवर्तित करने की नितान्त आवश्यकता है। अंग्रेजों की जिस न्याय-प्रणाली ने हमारे देशभक्तों को सजाएँ दी हो, उसी को हम आज भी ढो रहे हैं। इस प्रकृति के कारण अच्छे से अच्छे लोगों को कष्ट पहुँचता है। न्याय-प्रणाली का स्वदेशी होना नितान्त आवश्यक है। महिलाओं को न्याय कहाँ एवं कैसे मिलेगा? विशेषरूप से ग्रामीण महिलाओं को। कानून के मर्मज्ञ एवं विचारक न्यायमूर्ति ही जब ऐसी बात कहें तो किसी और को कहने के लिए क्या बचता है?

हमारी न्यायव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष समय का अपव्यय है। मुकदमों की सुनवाई निश्चित समय सीमा में हो, उसके लिए आवश्यक परिपत्र उपलब्ध कराने, अगली तारीख देने के लिए कठोर नियमों की एवं समय सीमा निर्धारण की आवश्यकता है। जिस किसी की गलती से समय नष्ट होता हो तो उससे न्यायालय तुरंत निर्धारित शुल्क वसूल करे। जिरह-बहस, न्यायाधीशों द्वारा फैसला सुनाने आदि सभी सम्बंधित प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये। न्यायालय और वकीलों को अनावश्यक और अनुचित महत्त्व न दिया जाए। समय का अपव्यय टालने के लिए इस संस्था की लंबी छुट्टियाँ तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ऐसा करने से लगभग १० प्रतिशत अधिक समय मिल सकता है। इससे लंबित दावों/मुकदमों की न खत्म होने वाली श्रृंखला कुछ परिमाण में छोटी होने का आश्वासन आम आदमी को मिलेगा। अंग्रेज उष्ण जलवायु के अभ्यस्त नहीं थे, इस कारण से ग्रीष्म-कालीन अवकाश की व्यवस्था की गई थी। इस समय का उपयोग करने के लिए अथवा हवाखोरी के लिये वे शीतप्रधान प्रदेशों में जाया करते थे। लेकिन अब आम आदमी की तरह इसी देश में जन्में मा. न्यायाधीशों को भी इस देश की जलवायु रास आ सकती है, यह स्वीकार करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।

क्रमशः

फाउण्डेशन की गतिविधियाँ

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन महात्मा गाँधी के स्मृति दिवस ३० जनवरी पर प्रतिवर्ष बच्चों तथा युवाओं के लिये विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष भी फाउण्डेशन ने गाँधी विचार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट – ***सम्पादक***

स्वच्छ और हरा जलगाँव के अभियान का शुभारम्भ

स्वच्छता अभियान के दौरान सफाई करते सहकारीगण

जलगांव, दि. ३० जनवरी २०१५, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी के स्मृति-दिवस के अवसर पर जलगाँव शहर के दो चयनित स्थलों- नया बस स्टैण्ड और गोलाणी मार्केट में 'स्वच्छ जलगाँव, हरा जलगाँव' कार्यक्रम आयोजित किया गया। ३० जनवरी को प्रात: जलगाँव के नया बस स्टैण्ड पर सेवादास दलूभाऊ जैन द्वारा एस.टी. महामंडल जलगाँव विभाग के नियंत्रक आर. वाइ. सालवे, डिपो मैनेजर एस. बी. जाधव, गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के सहकारी, मूलजी जेठा महाविद्यालय के प्राध्यापक विजय लोहार तथा आई.एम.आर. महाविद्यालय के निदेशक डॉ. विवेक काटधरे आदि महानुभावों एवं दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की उपस्थिति में 'स्वच्छ जलगाँव, हरा जलगाँव' की स्वच्छता मुहिम का प्रारम्भ किया गया। सभी महानुभावों ने एस. टी. स्टैण्ड और गोलाणी मार्केट के स्वच्छता अभियान में स्वयं अपना सहयोग देकर किया। यह उपक्रम गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के नेतृत्व में महात्मा गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत सामुदायिक जनजागृति, सहभागिता तथा स्वच्छता के प्रति जन-जन में नैतिक जिम्मेदारी को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया। ♦♦♦

महाप्रयाण नाटक का शुभारम्भ

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की ६७ वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन की ओर से ३० जनवरी २०१५ को बालगन्धर्व नाट्यगृह में राजकोट के कलानिकेतन संस्था द्वारा 'महाप्रयाण नाटक' का ५० वां प्रयोग प्रस्तुत किया गया। सेवादास दलूभाऊ जैन और इस नाटक के निर्माता श्रीमती रेणू याज्ञिक ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा को सूतीमाला अर्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के संस्थापक डॉ. भवरलालजी जैन, आमदार सुरेश भोळे, जैन इरिगेशन के उपाध्यक्ष अशोकभाऊ जैन, कविवर्य ना. धों. महानोर, नगरसेवक अमर जैन तथा जलगाँव शहर के रसिक दर्शक काफी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

गुजरात हिन्दी साहित्य अकादमी के श्रेष्ठतम् नाट्य लेखन पुरस्कार से सम्मानित श्री भरत याज्ञिक द्वारा निर्मित इस नाटक का विशेष महत्त्वपूर्ण भाग ३० जनवरी १९४८ को बिड़ला भवन, दिल्ली में महात्मा गाँधी की दिनचर्या तथा सरदार-गाँधी-नेहरू त्रिपुटी के गुरु-शिष्य सम्बन्धों की प्रस्तुति रहा।

देश के लिये अपना सर्वस्व समर्पित कर देनेवाले गाँधीजी को लोगों ने अलग-अलग नजरिये से देखा। शायद, हम उन्हें सही चश्मे से नहीं देख

महाप्रयाण नाटक का शुभारम्भ करते हुए सेवादास दलुभाऊ जैन, रेणू याज्ञिक

पा रहे हैं। यही वजह है कि उनसे सम्बन्धित अनेक उलझे प्रश्न आज भी समाधान की अपेक्षा रखते हैं। इस नाटक में भरत याज्ञिक ने बापूजी की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरीके से निभायी। ♦♦♦

ग्रामस्वराज्य और आरोग्य चेतना पदयात्रा – २०१५

महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि ३० जनवरी के अवसर पर गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन प्रत्येक वर्ष पदयात्रा का आयोजन करता है। गाँधीजी ने मेरे सपनों के भारत में गांवों को विशेष स्थान दिया था। गाँधीजी के उन्हीं विचारों का प्रचार-प्रसार ग्रामीण जनमानस में करने तथा जन-जागृति के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये इस पदयात्रा का आयोजन किया जाता है।

इस वर्ष महात्मा गाँधीजी की ६७ वीं पुण्यतिथि पर ३० जनवरी से ११ फरवरी २०१५ तक ११ दिनों की एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। गाँधी तीर्थ से प्रारम्भ हुई इस पदयात्रा में धानोरा, दापोरा, लमांजन,

ग्रामस्वराज्य व आरोग्य चेतना पदयात्रा का शुभारम्भ करते हुए बाशु

वाकडी, कुर्न्हाडदा तक कुल मिलाकर ५५ कि.मी. की दूरी तय की गयी। यात्रा के दौरान पदयात्रियों का प्रत्येक गांव में दो या तीन दिन का निवास रहा। ग्राम जनों को ग्रामस्वराज्य और आरोग्य चेतना विषय की जानकारी प्रदान की गयी। पदयात्रा में गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के १५ स्वयंसेवक तथा हर गांव से स्कूली छात्र, शिक्षक वर्ग, ग्राम पंचायत के प्रमुख व सदस्य तथा ग्रामीणजन शामिल हुये।

गांवों में प्रार्थना, गांव फेरी, सफाई, स्कूल के विद्यार्थियों के साथ खेल, 'मोहन से महात्मा' प्रदर्शनी, महात्मा गाँधी के जीवन पर प्रश्न-स्पर्धा, मूल्यवर्धन शिक्षा कार्यक्रम, वृक्षारोपण, आरोग्य के संदर्भ में जानकारी, रात में मोहल्ला बैठक, बच्चों के लिये पथनाट्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। मोहल्ला बैठकों में गांव के युवावर्ग के साथ विकास के सम्बन्ध में, महिलाओं के साथ बचत गुट के सम्बन्ध में तथा किसानों के साथ खेती विषयक माहिती एवं आरोग्य विषयक पहलुओं पर विचार-विमर्श विविध डॉक्युमेंटरी तथा विशेषज्ञों के माध्यम से किया गया। गांववालों ने स्वयंसेवक पदयात्रियों के लिये भोजन तथा आवास व्यवस्था गांवों के स्कूलों में ही कर अपने रिश्ते को प्यार के बंधन मे परिवर्तित कर दिया। पदयात्रा के दौरान यह अनुभव किया गया कि गांवों में कृषि एवं कृषि आधारित पूरक व्यवसाय के लिये मजदूरों की नितान्त कमी है तथा गांवो को शहरों से जोड़ने वाले मार्गों की भी असुविधा है। इस पदयात्रा के दौरान कुल ६८०० लोग प्रत्यक्ष रूप से गाँधी-विचार से जुड़े। भविष्य में इन सभी गांवो में अनुवर्ती कार्य को गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के अंतर्गत चल रहे अभ्यासक्रम 'गाँधीविचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' के छात्रों द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाया जायेगा। ♦♦♦

मोहन से महात्मा प्रदर्शनी

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों का भावी जीवन सुरक्षित एवं देश का विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पाठशालाओं एवं महाविद्यालयों में महात्मा गाँधीजी के जीवन, विचार तथा कार्य पर आधारित 'मोहन से महात्मा' प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

२६ जनवरी २०१५ गणतन्त्र दिवस के अवसर पर लातुर जिले के औराद शहाजनी में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर महाविद्यालय ने इस प्रदर्शनी को सभी नागरिकों तथा विद्यार्थियों के लिये आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष श्री विश्वनाथराव वलांडे गुरुजी तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. श्री. गहेरवार के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसरपर संस्था के सभी संचालकगण, महाविद्यालय तथा शहर के विद्यालय तथा महाविद्यालयों के लगभग ८ हजार छात्रों ने इस प्रदर्शनी को

गाँधी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्राचार्य डॉ. गहेरवार तथा अन्य

देखा और इसकी उपयोगिता के बारे में गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन की सराहना की। फाउण्डेशन की ओर से श्री नरेंद्र चौधरी तथा श्री भुजंगराव बोबडे ने इस प्रदर्शनी का आयोजन करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस आयोजन में महाविद्यालय के प्रा. श्री. सचिन हंचाटे तथा प्रा. सौ. डॉ. सुचित किडिले का योगदान भी महत्त्वपूर्ण रहा। ♦♦♦

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

श्री नारायण भाई देसाई

प्रख्यात गाँधीवादी श्री नारायण भाई देसाई का पिछले दिनों दिनांक १५ मार्च २०१५ को देहावसान हो गया। जैसी शिक्षा वैसा ही पेशा। सेवाग्राम की बुनियादी शाला तथा वेडछी की ग्रामशाला में उन्होंने शिक्षक का कार्य किया। आपने अखिल भारतीय शान्तिसेना तथा राष्ट्रीय लोकसमिति के मन्त्रीपद, वॉर रेजिस्ट्रार इंटरनेशनल के अध्यक्ष पद तथा पीस ब्रिगेड् इंटरनेशनल के डायरेक्टर पद को सुशोभित किया। समाज निर्माण के अनेकों कार्य किये। उनके इन समस्त कार्यो में प्रेरणारूप थे-गाँधीजी के साथ निकटता से बिताये १० वर्ष, विनोबाजी के भूदान यज्ञ में लगाये १४ वर्ष तथा जयप्रकाश नारायण के साथ शान्तिसेना कार्य में दिये गये १८ वर्ष।

उनके द्वारा रचित साहित्यिक रचनाओं को दर्शक फाउण्डेशन सम्मान, केन्द्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार, नर्मदचन्द्रक, उमास्नेहरश्मि पारितोषिक तथा सच्चिदान्द सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उनकी रचनाओं में से कुछ प्रमुख हैं- 'पावन प्रसंगे' (१९५२), 'वेडछीनो वडलो' (सम्पादित) तथा 'अग्निकुंड मां ऊगेलुं गुलाब' (१९९३) और 'मारु जीवन एज मारी वाणी' (२००३) आदि।

नारायण देसाई द्वारा बापूजी पर चार खंडों में लिखित 'मारु जीवन एज मारी वाणी' इस कृति के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नारायण भाई की गाँधीकथा ने तो संपूर्ण भारत में हलचल मचा दी थी। इस कृपा के कृपापात्र हम भी रहे और जलगाँव में गाँधी कथा का भव्य आयोजन हमारे अनुरोध पर किया। हम अपने को धन्य मानते है कि श्रद्धेय नारायण भाई ने गाँधी तीर्थ का अद्यतन अभिलेखागार देखकर महादेवभाई की मूल डायरीयाँ एवं अन्य सामग्री जो गाँधीवाद की जीती-जागती विरासत है, को पिढ़ीयों तक संभालने हेतु हमें चुना और यह कार्य गाँधी तीर्थ को दिया। यह उनका हमारे प्रती विश्वास और प्रेम दर्शाता है। गाँधी विचार को जन समुदाय तक पहुँचाने का हमने जो एक अभिनव प्रकल्प गाँधी तीर्थ के रुप में प्रारम्भ किया है, उसमें नारायण भाई की प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहा। गूजरात विद्यापीठ और गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन का अनुबंध उन्हीं के कुलपति कार्यकाल में हुआ, जो गाँधीविचाराधारित मुल्यलक्षी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिये अहम पड़ाव के समान बना रहेगा।

वे अंत तक गाँधी विचार के अद्‌भुत और स्वयंभू स्तंभ थे। उनके जाने से समाज का, गाँधी विचारधारा का कितना नुकसान हुआ, इसकी कल्पना की जा सकती है। शांति के इस महादूत की आत्मा को चिरशांति प्राप्त हो, इसी भावना के साथ गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन उन्हें अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ♦♦♦

'सत्य के प्रयोग' से सम्मानित न्यूरोलॉजिस्ट

आइ.एफ.एन.आर. २०१५ के राष्ट्रीय सम्मेलन में यू.के. स्थित, गाँधी-मूल्यों से प्रभावित प्रो. नरिन्द्र कपूर के करकमलों द्वारा न्यूरो

प्रो. कपूर का सत्कार करते हुए श्री अनिलभाऊ जैन

साइकोलॉजी के क्षेत्र में भारतवर्ष में कार्यरत प्रभावशाली डॉक्टरों को गाँधीजी की 'संपूर्ण आत्मकथा' देकर सन्मानित किया गया। प्रो. कपूर यू.के. स्थित सुप्रसिद्ध न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं। वर्तमान में आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन में विजिटिंग फॅकल्टी हैं। उनके द्वारा लिखी पुस्तक 'दि पैरॉडॉक्सिकल ब्रेन' को उत्कृष्ट लेखन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रो. कपूर गाँधीजी के विचार, तत्त्वों और मूल्यों से प्रभावित रहे हैं। वे गाँधीजी के ''मरीज हम पर निर्भर नही, बल्कि हम मरीज पर निर्भर हैं। मरीज की सेवा करके हम उन पर उपकार नही कर रहे हैं, बल्कि हमें सेवा करने का मौका देकर वे हम पर उपकार कर रहे है'' इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और तब से हर साल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य करनेवाले डॉक्टरों को गाँधियन स्कॉलरशिप देकर वे गाँधीजी के विचारों का प्रचार-प्रसार करते हैं।

प्रो. कपूर के इस कार्य के बारे में आइ. एफ. एन. आर. के अध्यक्ष मा. डॉ. श्री निर्मल सूर्यजी ने जब गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन के ट्रस्टी मा. श्री अशोक जैन को बताया, तो ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होकर श्री अशोक जैन ने प्रो. नरिन्द्र कपूरजी को स्कॉलरशिप के साथ-साथ गाँधीजी की 'आत्मकथा' गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन की ओर से उपहार रूप देकर प्रो. कपूर के कार्य में अपनी सहभागिता की। ♦♦♦

स्नातकोत्तर डिप्लोमा छात्रों की अभ्यास यात्रा-२

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा संचालित गाँधी समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के छात्रों द्वारा एक अभ्यास-यात्रा दि. ११ से २५ जनवरी २०१५ तक आयोजित की गयी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न संस्थानों पर ले जाकर उन्हें समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन के प्रयास कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं से रूबरू कराना तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के कार्य को समझना था। इस शैक्षणिक यात्रा में डिप्लोमा के पांच छात्रों तथा प्राध्यापक अश्विन झाला ने भाग लिया। इसमें जिन संस्थानों से सम्पर्क किया गया उनमें सुरुचि शिक्षण वसाहत ट्रस्ट, बारडोली; बायफ संस्थान, लाछकड़ी; लोकमंगलम् संस्थान, खोबा गांव; वरिष्ठ गांधियन श्री महेन्द्र भट्ट कार्यरत प्रयास संस्थान प्रमुख थे। इस यात्रा में मांगरोल; सजीव कृषि आधारित जीवन प्रकृति को देखने, श्री धीरेनभाई का गांव साकवा; सर्वोदय कार्यकर्ता श्री लखनभाई, माथावाडी से नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर होते हुये नाव के जरिये डनेल गांव के लोगों से मुलाकात करने का भी अवसर मिला।

इस यात्रा में सामाजिक परिवर्तन के प्रयास करने वाले महानुभावों-गुजरात विद्यापीठ के ग्रामशिल्पी नीलमभाई, वरिष्ठ गाँधीवादी महेन्द्रभाई भट्ट, धीरेनभाई, सर्वोदय कार्यकर्ता लखनभाई से मिलना व चर्चा करना

वरिष्ठ गाँधीवादी महेन्द्रभाई भट्ट के साथ चर्चा करते हुए

अत्यन्त फलदायी रहा। सभी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों से भी चर्चा व सामुदायिक विकास पहलू पर बात चीत हुई। व्यक्तिगत रुप से सामाजिक कार्यकर्ता (सोशल एक्टिविस्ट) निर्माण करने एवं सर्वोदय विचारधारा के आधार पर स्वावलंबी गाँव निर्माण की दिशा में एक सफल प्रयास जो सभी के लिए एक आदर्श स्थिती निर्माण करे। एवं भविष्य में निर्धारित कार्यक्रम को सफल बनाने में यह शैक्षिक दौरा निश्चित ही मार्गदर्शन का कार्य करेगा। ♦♦♦

प्रवेश सूचना

एम. ए. गाँधी विचार एवं सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद द्वारा संचालित उपरोक्त पत्राचार पाठ्यक्रम (मराठी एवं हिन्दी माध्यम) शुरू है। वर्ष २०१५-१६ के लिए उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विद्यार्थी किसी भी विद्याशाखा के स्नातक कक्षा में कम से कम ४० प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

पत्राचार पाठ्यक्रम होने की वजह से आप सर्विस के साथ पढाई भी कर सकते है। अन्य जानकारी एवं प्रवेश हेतु सम्पर्क करें -

पी. जी. डिप्लोमा इन गाँधीयन सोशल वर्क पाठ्यक्रम

गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन संचालित उपरोक्त एक साल निवासीय अभ्यासक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। ग्राम विकास विषय में रुची रखनेवाले स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी अपना प्रार्थनापत्र भेज सकते है। कथित अभ्यासक्रम के लिए छात्रवृत्ति एवं मानधन की व्यवस्था की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए www.gandhifoundation.net पर माहितीपत्र एवं प्रवेशपत्र उपलब्ध है।

डीन,

गाँधी इंटरनेशनल स्टडी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट

गाँधी तीर्थ, जैन हिल्स, जलगाँव - ४२५००१, महाराष्ट्र.

फोन: ०२५७-२२६००३३, मो. ०९४०४९५५२७२, ०९४२२७७६९३६

ई-मेल: info@gandhifoundation.net

संग्रहालय–दर्शकों के अभिमत

'खोज गाँधीजी की' संग्रहालय को देखने के लिये हजारों लोग प्रतिदिन गाँधी तीर्थ पहुंचते हैं। कुछ गाँधी विचारों के अनुरूप जीने का संकल्प लेकर जाते हैं तो कुछ अपने मनोभावों को कलमबद्ध कर जाते हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय के विषय में कुछ दर्शकों के अभिमत – ***सम्पादक***

One of the most inspiring visits to a sacred place – Gandhi Teerth. Greast vision, noble cause, meticulous planning, faithful implementation, most creative and innovative approaches with modern perspective are the salient features of this museum. It has immense potential to inform, motivate and sensitize the generations to come about Mahatma Gandhi, a phenomenon and thought.

The way this Teerth is envisioned and created it, has become a model, a prototype for the entire nation to commemorate the noble life and works of a great leader of India. It has set an example and a high quality standard for different groups and organizations to follow.

Salute to Mahatma Gandhi and salute to the creator of this Teerth, Shri Bhavarlalji Jain. Words may not express our gratitude for this pioneering innovative & humanitarian service to the nation and the globe / world.

Best wishes to this exceptional, extra-ordinary work. Every person, teacher, student, politician, bureaucrat and professional must visit Gandhi Teerth.

Thanks to the volunteers / staff for taking us around.

Prashant Phalchand Kothadiya,
Azim Premiji Foundation, Anand, 108/36, Bharat Niwas Society, Pune - 411004 . 09/01/2015

....

The entire tour has given us an absolute live and realistic image of the times when own country has travelled through different crest and trough. The pioneers of Indian society and culture, Mahatmaji inspires us to the core of our soul to follow the principles and promoted by him.

It gave me immense pleasure and a feeling of absolute pride and honors that I am boon on this holy soil of mother India.

I take a pledge that I would decimally contribute to the progress of myself, society and nation to the best of my capabilities.

Jai Hind

Rahul Trivedi,
G. H. Raisoni Institute, Jalgaon, 08/02/2015

....

It was really worth to see this Museum. We are highly proud of the person behind it. From this view we would also try to inculcate at least some thoughts of Gandhiji.

We hope that this Teerth becomes a worldwide approbation of Jalgaon and also want to congratulate the people who work behind this.

A. Thomas,
Manu Niwas, 13/B, Bhushan Colony, Jalgaon 19/02/2015

Collection and exhibits in the Gandhi Teerth about the journey of Mahatmaji will certainly have great influence on the young minds of country again. The country may seen the days of non-violence and non-corruption in future days to come, so we should must congratulate the Jain group having made this wonderful thing with small effort.

Dr. H. B. Patil,
University of Horticulture Sciences, Bagalkot, Karnataka 21/02/2015

....

मुझे गाँधीजी की पूरी छवि को देखने एवं उनके व्यक्तिगत तौर पर समझने का बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं उनके सिद्धांतों को अपने जीवन मे उतारने का जरूर प्रयास करुँगा।

जय–हिन्द! जय–जिनेंद्र

हुलास पी. बागमार,
ऍरो व्हेईंग मिल्स प्रा. लि., भिंवडी. २१/०२/२०१५

....

This is one of the finest creations to inspire children especially to increase their interest in Gandhi's life and philosophy. This is of equal importance to adults and elders also.

We need to salute the concept designers for their great work.

Shankar Tiwari,
Gandhi Study & Peace, FWTRE, Kathmandu, Nepal, 21/02/2015

....

पूरी दुनियाँ के लिए, यह गाँधी को समझने, समझाने का सतत प्रयास है। आपका प्रयास जारी रहे, इसके लिए हमारी शुभकामनाएँ।

अर्जुन थापा, *महात्मा गाँधी ममोरियल फाउण्डेशन, भारतनगर–१८, नेपाल. २१/०२/२०१५*

....

आज का दिन मेरे जीवन का एक यादगार दिन है, जिस दिन मैंने आत्ममंथन पर पूरा भार रखा। गाँधी तीर्थ आने के दर्शन का लाभ लेने की प्रेरणा मुझे गाँधी मंदिर, गाँधीनगर से मिली है। महात्मा गाँधीजी को सत्य की राह पर चलने में जो कठिनाई झेलनी पड़ी, वह सुनने समझने से अपने जीवन को बहुत सी प्रेरणा मिलती है।

इन्सान को अगर आत्ममंथन करके अपने जीवन को सफल बनाना है तो एक बार अकेले गाँधी तीर्थ का लाभ लेना चाहिए। संसार में ऐसी कई विभूतियां हैं, जो लुप्त होने जा रही हैं। मैं निर्भयसिंह राव निवासी गाँधीनगर (मोघरी), गुजरात तहेदिल से बड़े भाऊ श्रीमान् डॉ. भवरलालजी का आभार व्यक्त करता हूँ जो जैन समाज के गौरव हैं, जिन्हें गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन का निर्माण करने की प्रेरणा मिली और देश–दुनियाँ के हर इन्सान को गाँधी के जीवन चरित्र के माध्यम से भगवान महावीर के उपदेशों को प्राप्त करने का अवसर मिला।

गाँधी फाउण्डेशन अद्‌भुत और स्मरणीय है। यहाँ का अनुशासन तारीफ के काबिल है। गाँधी फाउण्डेशन के सभी ट्रस्ट परिवार को राव निर्भयसिंह की तरफ से शुभकामनाएँ।

निर्भयसिंह किशोरसिंह राव,
प्लाट नं. ४०९/ए, ढाके इंटरप्राइजेस प्रा. लि., सेक्टर –१, गाँधीनगर, गुजरात. १३/०३/२०१५

♦♦♦

अतिथि देवो भव!

महात्मा गाँधी के जीवन एवं उनके कार्यों को गाँधी रिसर्च फाउण्डेशन स्थित 'खोज गाँधीजी की' संग्रहालय में अत्याधुनिक तकनीक के साथ समन्वित करके युवाओं के लिए कैसे उपयोगी बनाया गया है? इसे देखने व समझने के लिए अतिथियों का स्वाभाविक प्रवाह होता रहता है। अतिथि हमारे लिये देवतुल्य हैं।

भट्ट साहेब और उनके अतिथिगण
०७.०१.२०१५

वासुकी सुंदरम, साउथ अफ्रीका
०८.०१.२०१५

प्रभाकरराव देशमुख, अग्रीकल्चर सेक्रेटरी, महाराष्ट्र शासन, पूना ०९.०१.२०१५

एलिजाबेथ, युर्निवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का
०६.०१.२०१५

डॉ. सुरेश पाटील, चेयरमैन, चोपडा साखर कारखाना
१४.०१.२०१५

चंद्रपुर से आए हुए किसान
२१.०१.२०१५

देवेंद्र सन्यासी, मॉरिशस
२१.०१.२०१५

वाकोद कॉलेज के विद्यार्थी और शिक्षणगण
२४.०१.२०१५

स्वामी अग्निवेश, नई दिल्ली
२५.०१.२०१५

बैंक ऑफ कॅनरा के सहकारीगण
०१.०२.२०१५

रयत शिक्षण संस्था के शिक्षकगण
०७.०२.२०१५

जेम्स अरनॉर्ड, लंडन, यू.एस.ए.
१२.०२.२०१५

डेविड कॉन, ॲमनॉन, इस्त्राइल
२०.०२.२०१५

जसवंत सिंह, चैयरमैन, अहमदाबाद टूरिज्म असोसिएट
२४.०२.२०१५

एम. जे. कॉलेज जलगाँव के छात्र और छात्राएँ
२७.०२.२०१५

उदयसिंह राजपुत, चीफ कमर्शिअल मॅनेजर, सेन्ट्रल रेल्वे ०१.०३.२०१५

मनोज घाघुर्डे, सेंट्रल रेल्वे, भुसावल
०१.०३.२०१५

चित्रशृंखला-११

ट्रान्सवाल कानून

हेनरी सोलोमन लिओन पोलक, 'ट्रान्सवाल क्रिटीक' के सहसम्पादक

राम सुन्दर पंडित को द. अफ्रीका के सत्याग्रह में सर्वप्रथम सजा हुई थी।

मो. क. गाँधी बैरिस्टर के रूप में, अपने कार्यालय के बाहर अपने सहयोगियों के साथ जोहान्सबर्ग में, १९०५

अपनी रहन-सहन पर मेरा कुछ अंकुश था, इस कारण मैं देख सका कि मुझे कितना खर्च करना चाहिये। अब मैंने खर्च आधा कर डालने का निश्चय किया। हिसाब जाँचने से पता चला कि गाड़ी - भाड़े का मेरा खर्च काफी होता था। फिर कुटुम्ब में रहने से हर हफ्ते कुछ खर्च तो होता ही था। किसी दिन कुटुम्ब के लोगों को बाहर भोजन के लिए ले जाने का शिष्टाचार बरतना जरूरी था। कभी उनके साथ हो, तो उसका खर्च चुकाना जरूरी हो जाता था। जब बाहर जाता, तो खाने के लिए घर न पहुँच पाता। वहाँ तो पैसे पहले से ही चुकाये रहते और बाहर खाने के पैसे और चुकाने पड़ते। मैंने देखा कि इस तरह के खर्चों से बचा जा सकता है। महज शरम की वजह से होनेवाले खर्चों से बचने की बात भी समझ में आयी।